

Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment	Entertainment & Event
Property	Hobbies & Interests
Business Opportunity	Services
Vehicles	Jewellery & Watches
Announcements	Music
Antiques & Collectables	Obituary
Barter	Pets & Animals
Books	Retail
Computers	Sales & Bargains
Domain Names	Health & Sports
Education	Travel
Miscellaneous	

Matrimonial (Sunday Only)



अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

चमोली आपदा मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से दो सप्ताह में मांगा जवाब

सुनवाई

एनटीपीसी ने बताया 84 परिवारों को दिया जा चुका मुआवजा

संवाददाता

नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने चमोली के रैणी गाँव में सात फरवरी को आई आपदा के सम्बंध में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान एनटीपीसी की तरफ से अपना जवाब पेश किया गया। जिसमें कहा गया कि एनटीपीसी एक जिम्मेदार कम्पनी है। सात फरवरी को आई आपदा में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी और और कितने मजदूर अब भी लापता हैं। एनटीपीसी ने बताया कि मृतक व लापता लोगों के स्वजनों को मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है। अभी तक चिन्हित 84 परिवारों को मुआवजा दे दिया जा चुका है। शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में होनी वाली आपदाओं की भविष्य वाणी करने के लिए कोई उपकरण लगाए गए



नहीं लगाए हैं। अगर अर्ली अलार्मिंग सिस्टम लगे होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में अधिवक्ता पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि चमोली का रैणी गाँव की महिला गौरा देवी सहित अन्य महिलाओं ने वनो को बचाने के लिए सत्तर के दशक में एक अनूठी पहल की शुरुआत यहीं

से की थी। जब ठेकेदार कुल्हाड़ी लेकर पेड़ कटवा रहा था तो इन महिलाओं ने पेड़ों पर चिपककर इसका विरोध किया। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। याचिकर्ता का कहना है कि यही क्षेत्र आज आपदा की मार झेल रहा है। सात फरवरी को आई आपदा में कई लोगों के परिवार उजड़ गए और कितने लोग कम्पनियों व सरकार की लापरवाही के कारण मौत के गाल में शमा गए। याचिकर्ता का कहना

है कि यह क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है यहां नन्दा देवी बायोस्फियर क्षेत्र भी घोषित है फिर सरकार ने यहां पर हाइड्रोपावर बनाने की अनुमति क्यों दी गयी है। जबकि पहले भी यह क्षेत्र सवेदनशील रहा है।

आपदा के दौरान राज्य के बड़े बड़े नेताओं व अधिकारियों ने यहां का दौरा किया लेकिन पीड़ितों को न तो मुआवजा दिया गया न ही उनको न्याय मिला जहाँ पर यह घटना हुई वहाँ पर किसी भी तरह का अर्ली अलार्मिंग सिस्टम नहीं लगा था इस क्षेत्र में एबलांच को आने में 15 मिनट लगे थे अलार्मिंग सिस्टम होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। याचिकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में यह प्रार्थना की है कि आपदा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जाय। जिनका परिवार उजड़ गया है कोर्ट सरकार व कम्पनी के खिलाफ गैर इरातन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाय। क्योंकि यह आपदा सरकार व कम्पनियों की लापरवाही के कारण घटित हुई।

न्यूज डायरी

नदी की भूमि पर प्लॉटिंग करने के मामले में सरकार व एमडीडीए को नोटिस

संवाददाता नैनीताल। उच्च न्यायालय ने देहरादून में नदी नालों खालों को बंजर भूमि को परिवर्तित कर प्लॉटिंग करने के मामले में पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित एमडीडीए से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए थे, कि जिन क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग कर निर्माण कार्य किया जा रहा है उन पर रोक लगाएँ। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा की जनहित याचिका दायर की है। उनका कहना है कि देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में नदी की भूमि को बंजर भूमि में परिवर्तित कर भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है।

500 मीटर नई पेयजल लाइन बिछाएगा जल संस्थान

संवाददाता रुड़की। हजारों की आबादी को अब गंदे पानी एवं लो-प्रेसर की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जल संस्थान की ओर से छूट गए मोहल्लों की गलियों में करीब 500 मीटर नई पेयजल लाइन बिछाई जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से शहर में पेयजल प्रोजेक्ट के तहत नई लाइन डाली गई थी। लेकिन, वार्ड नंबर दो एवं 32 के कुछ मोहल्ले की गलियों में नई पेयजल लाइन डालने का काम नहीं हो पाया था। इनमें सिविल लाइंस, पुरानी तहसील, शराब गोदाम, कृष्णा नगर आदि क्षेत्रों की कुछ गलियां शामिल हैं। उधर, एडीबी की ओर से नई पेयजल लाइन डालने के बाद जल संस्थान की ओर से अधिकांश पुरानी लाइनें बंद कर दी गई थी।

पेपरफ्राई ने देहरादून, उत्तराखंड में अपनी तरह का पहला स्टूडियो लॉन्च किया

संवाददाता देहरादून। भारत के नं. 1 फर्नीचर एवं होम प्रोडक्ट्स मार्केटप्लेस, पेपरफ्राई ने देहरादून, उत्तराखंड में अपने पहले विशेष एक्सपीरियेंशियल सेंटर के लॉन्च की घोषणा की। 2014 में अपने पहले स्टूडियो के लॉन्च से, पेपरफ्राई भारत के 40 से ज्यादा शहरों में 70 से ज्यादा स्टूडियो (ओनर एवं फ्रेंचाइजी) स्थापित कर चुका है। इसका उद्देश्य फर्नीचर एवं होम सेगमेंट में सबसे विशाल ऑनलीचौनल बिजनेस का गठन करना है। ये स्टूडियो मुख्य कंज्यूमर टचपॉइंट्स के रूप में विकसित हुए हैं, जो संपूर्ण व्यवसाय में 30 प्रतिशत से ज्यादा का औसत योगदान देते हैं। लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, अमृता गुप्ता, बिजनेस हेड, पेपरफ्राई ने कहा, "हम इंटरविजय लाईफस्टाइल्स एलएलपी के साथ साझेदारी में दून में अपना पहला स्टूडियो लॉन्च करके काफी खुश हैं।

तीन तस्कर गिरफ्तार, यूपी के फतेहगंज से तस्करी के लिए लाए थे स्मैक



संवाददाता काशीपुर। पुलिस ने स्मैक की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। यूपी के फतेहगंज से आई स्मैक का बंटवारा कर रहे तीन तस्करों को कोतवाली पुलिस ने अल्ली खां के पास वाले ग्राउंड से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 212.13 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एक महिला आरोपित अभी फरार है। पुलिस ने इस मामले में बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी भी सीज कर दी है। इंस्पेक्टर कोतवाली जीबी जोशी ने बुधवार को कोतवाली में पत्रकारों को बताया कि एसएसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार शाम लगभग सात बजे मुखबिर की सूचना पर सीओ अक्षय प्रहलाद कोंडे के नेतृत्व में बांसफोडान चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने पुलिस टीम के साथ मोहल्ला अल्लीखां में कब्रिस्तान के पास स्थित ग्राउंड पर छापा मारा। तीनों आरोपित यूपी के फतेहगंज से भेजी गई स्मैक का बंटवारा कर रहे थे। आरोपितों के कब्जे से 212.13 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जिसकी बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपये आंकी गई है।

जनता को आपातकाल में मरीजों के लिए हर वक्त सेवा उपलब्ध हो

संवाददाता पिथौरागढ़। बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय उड्डयन मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, सांसद अनिल बलूनी और सांसद टम्टा को पिथौरागढ़ से हल्द्वानी-रामनगर डेली सेवा के बाबत ज्ञापन प्रेषित किया गया ताकि बरसात के दौरान सड़क बाधित होने पर जनता को आपातकाल में मरीजों हेतु हर वक्त सेवा उपलब्ध हो सके। साथ ही जिलाधिकारी से हाईवे

पर एक अल्टरनेटिव रोड जो पहले से बनी है पिथौरागढ़ रावल गांव मेलडूगरी होते हुए घाट तक ताकि यदि यहां करोड़ ब्लॉक हो तो हमें एक अल्टरनेटिव रोड इमरजेंसी हेतु उपलब्ध हो सके इसके तनिक चौड़ीकरण व घाट पर एक पुलिया का निर्माण होने से यह रोड इमरजेंसी में एक बेहतर विकल्प बन सकता है जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस रोड के बाबत आप और शिव सिंह सुगडा रावल गांव निवासी विगत लंबे

समय से आवाज उठाते आए हैं। जिलाधिकारी ने कही इस रोड का काम भी तकरीबन प्रगति पर है जल्द ही इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा घाट में कम स्थान वाली जगह चिन्हित करने तो PWD को आदेश दिया जा चुका है। ज्ञापन देने वालों में व्यापार मंडल पिथौरागढ़ (सोर) के मनीष चौधरी आशीष सोन दिनेश कापड़ी, कैलाश वर्मा और स्वयं अध्यक्ष शमशेर महर आदि लोग उपस्थित थे।

मारवाड़ी विश्वविद्यालय ने 2021-22 सत्र के लिए प्रवेश को बनाया आसान

संवाददाता देहरादून। गुजरात के एकमात्र एनएएस ई प्लस मान्यता प्राप्त संस्थान मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशनस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स (एमईएफजीआई) ने विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लिकेशन्स, बिजनेस मैनेजमेंट लॉ, लिबरल आर्ट्स, कला, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और कृषि विज्ञान जैसे विषयों में 2021-22 के लिए यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू किया है। इस अवसर पर बोलते हुए, मारवाड़ी विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट डॉ सदीप संचेती ने कहा, "परिसर में जीवंत जीवन और साल भर पूर्ण विकास के अलावा, मारवाड़ी विश्वविद्यालय को चीज अलग करती है वह है इसका समर्पित प्लेसमेंट सेल।

कार्यालय सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

निविदा सूचना संख्या-246/निविदा दिनांक : 28-06-2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

महानिर्मित्री श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा निम्नलिखित कार्य की शीलबंद निविदाये दिनांक 13.07.2021 को आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दि 03.07.2021 से दिनांक 12.07.2021 तक किसी भी कार्यालय में निम्न कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा दि 13.07.2021 को अपराह्न 3.00 बजे तक इन्हीं कार्यालयों में दाखे जा सकते हैं :-

- कार्यालय अधिसूची अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- कार्यालय अधिसूची अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- कार्यालय अधिसूची अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- कार्यालय अधिसूची अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अंदाजित राशि (रु.)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की वैधता	कार्य की शुरुआत अवधि	पंजीकरण की श्रेणी
1.	Providing service of Skilled Electrician for Circuit House Annexi, Cantt. Road, Dehradun.	10,000.00	500+ जीएसटी	60 दिन	1 वर्ष	पंजीकृत/कार्य अनुभवी फर्म
2.	Providing service of Semi Skilled Electrician & Fire Operator for State Guest House Bijapur, Dehradun.	7,000.00	500+ जीएसटी	60 दिन	1 वर्ष	तद्वैध
3.	Providing service of Semi Skilled Electrician & Lift Operator for Hon'ble C.M. Residence Cantt. Road, Dehradun.	10,000.00	500+ जीएसटी	60 दिन	1 वर्ष	तद्वैध
4.	Providing service of Skilled Electrician for State Guest House Jollygrant, Dehradun.	5,000.00	500+ जीएसटी	60 दिन	1 वर्ष	तद्वैध
5.	Providing service of Skilled Electrician for Hon'ble Minister Residence Colony, Dehradun.	5,000.00	500+ जीएसटी	60 दिन	1 वर्ष	तद्वैध
6.	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जीनपुर में नैनबाग तहसील नेटवर्किंग स्थापना का कार्य।	6,400.00	500+ जीएसटी	60 दिन	1 वर्ष	कार्य अनुभवी फर्म

निविदा दिनांक 14.07.2021 को अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधिसूची अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के कार्यालय में खोली जाएगी। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ देवी जा सकती। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सहायक अभियन्ता के पास सुरक्षित होगा।